JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED

No. JPD/ CAO/Rules/F. 33 /D. 106 Jaipur, dated 16.4.2004.

ORDER

Sub :- Extra Ordinary leave (without pay) to the officers/ employees.

The Board of Directors in its 59th meeting held on 31st March, 2004 has decided to authorise the Managing Director to grant Extra-Ordinary Leave(without pay) for the period of minimum 2 years and maximum 5 years to the officers/ employees of the Company in accordance with the State Govt. order No. F.1(8) Finance/Rules/2002 dt. 22.5.2003 (reproduced overleaf) subject to the following conditions :

(a) The facility of Extra Ordinary Leave (without pay) shall be allowed to the employees of both CPF/GPF holders.

(b) The period of leave will be treated as "dies non" for the purpose of Pension but if the employee deposits the subscription of Pension during the leave period, as per rules, the period of leave will be counted for the purpose of Pension. But this facility shall not be provided to CPF holders.

(c) The maximum period of Extra Ordinary Leave (without pay) will be 5 (five) years in the whole service period. If any officer/official has availed the Extra Ordinary Leave (without pay) in past, for this purpose under erstwhile RSEB - Order No RSEB/Sec.3/Admn./Misc./D. 539 dt. 8.3.2000 the same may also be included for calculating the maximum period of leave i.e. 5 (five) years.

(d) An officer equivalent to the rank of Superintending Engineer and above shall be permitted for private entrepreneurship/employment on furnishing a certificate that commercial employment/business proposed to be accepted does not relate, directly or indirectly, with the Power Sector entities. However, this condition will not be applicable in respect of officers/employees upto the rank of Executive Engineer or equivalent thereto.

By order,

(A.K.Jain)
Chief Accounts Officer

Copy forwarded to the following for information & necessary action:-

1. The Chief Engineer ( ), JPD Jaipur.
2. The Financial Advisor & Controller of Accounts, JPD Jaipur.
3. The Secretary, JPD, Jaipur
4. The Addl. Superintendent of Police (Vig.), Jaipur Discom. Jaipur.
5. The Dy. Chief Engineer ( ), JPD, Jaipur.
6. The Chief Personnel Officer, Jaipur Discom, Jaipur.
7. The Superintending Engineer ( ), JPD, _____
8. The Company Secretary, Jaipur Discom, Jaipur
9. The Sr. Accounts Officer ( ), Jaipur Discom, _____
10. The Public Relation Officer, Jaipur Discom, Jaipur.
11. The Dy. Director Personnel, Jaipur Discom, _____
12. The Executive Engineer ( ), Jaipur Discom, _____
13. The Accounts Officer/Asstt. Accounts Officer ( ), JPD, _____
14. The Asstt. Secretary/ Estt. Officer ( ), JPD, Jaipur.
15. P.A. to the MD / CAO, Jaipur Discom, Jaipur.

Asstt. Accounts Officer (Rules)

राजस्थान सरकार

वित्त विभाग

(नियम डिवीजन)

क्रमांक एफ.1(8)वित्त/नियम/2002 जयपुर, दिनांक : 22.05.2003

आदेश

राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारियों को सेवा का परित्याग किए बिना अपना स्वयं का व्यवसाय करने अथवा अन्यत्र नौकरी करने की सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से नियमित कर्मचारियों के लिये विशेष अवकाश (अवैतनिक) योजना तुरन्त प्रभाव से लागू करने का निर्णय लिया हैं।

यह योजना चिकित्सा विभाग के तकनीकी कर्मचारी एवं चिकित्सक, शिक्षक चिकित्सा महाविद्यालय, शिक्षक (स्कूल एवं महाविद्यालय), पुलिस विभाग के अधिकारी व अलिपिकीय वर्ग के कर्मचारियों को छोड़कर समस्त नियमित राज्य कर्मचारियों पर लागू होगी, जो राज्य के कार्यकलापों के संबंध में लोक सेवा के पदों पर नियुक्त हैं और जिन्हें पेंशन के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

राज्य कर्मचारियों को यह विशेष अवकाश निम्न शर्तो के अनुसार देय होगा :–

(i) एक राज्य कर्मचारी को आवेदन करने पर न्यूनतम दो वर्ष एवं अधिकतम पांच वर्ष तक के लिए यह विशेष अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जा सकेगा, लेकिन कर्मचारी के अवकाश पर प्रस्थान के पश्चात् दो वर्ष की अवधि से पूर्व उसकी सेवा में नहीं लिया जावेगा। ऐसा अवकाश कर्मचारी के पूरे सेवाकाल में मात्र एक बार ही देय होगा।

(ii) विशेष अवकाश के प्रकरण पर निर्णय हेतु निम्नांकित प्राधिकृत होंगे :–

क्र.सं.	केडर	प्राधिकारी
1.	अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी/ विभागाध्यक्ष	कार्मिक विभाग (संबंधित विभाग के मंत्री एवं मुख्यमंत्री के अनुमोदन पर);
2.	राज्य सेवा	प्रशासनिक विभाग;
3.	अधीनस्थ सेवा/मंत्रालयिक सेवा/ चतुर्थ श्रेणी सेवा	विभागाध्यक्ष।

(iii) राज्य कर्मचारी इस अवकाश अवधि में भारत अथवा भारत के बाहर स्वरोजगार करने अथवा अन्य रोजगार प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र रहेगा, लेकिन वह राजस्थान सरकार के अन्य विभाग अथवा राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन कम्पनी, निगम, स्वशाषी निकाय,

स्थानीय निकाय संस्थाओं, सहकारी संस्थाओं और राज्य सरकार द्वारा अनुदानित संस्थाओं में कार्य नहीं कर सकेगा। इस अवधि में कर्मचारी राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं ले सकेगा। कर्मचारी को सम्पर्क हेतु अपना स्थानीय (भारत में) पता, अवकाश आवेदन पत्र में अंकित करना होगा।

(iv) विशेष अवकाश अवधि में स्वरोजगार अथवा अन्य संस्थान में नियोजन प्राप्त करने को राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1958 के तहत दुराचरण नहीं माना जावेगा।

(v) राज्य कर्मचारी की उक्त अवकाश अवधि अवैतनिक होगी। यह अवधि अवकाश अर्जित करने एवं पेंशन के लिए सेवाकाल नहीं मानी जावेगी। कर्मचारी द्वारा नियमानुसार पेंशन अंशदान जमा कराए जाने पर उक्त विशेष अवकाश अवधि पेंशन योग्य सेवा मानी जा सकेगी। इस अवधि के दौरान राज्य कर्मचारी का पद भरा हुआ ही माना जावेगा एवं उस पद पर भर्ती/पदोन्नति नहीं दी जा सकेगी।

(vi) ऐसी अवधि में राज्य कर्मचारी उनको आवंटित राजकीय आवास को रख सकेगा, परन्तु उसका किराया नियमानुसार वसूली योग्य होगा जो संबंधित कर्मचारी स्वयं जमा कराएगा।

(vii) स्वीकृत ऋण/अग्रिम की किश्तें स्वयं कर्मचारी द्वारा सम्बन्धित मद में चालान से जमा की जावेगी।

(viii) राज्य कर्मचारी इस अवधि में राज्य बीमा पालिसी को जारी रख सकेगा। इस अवधि में अवकाश पर प्रस्थान करने के समय के मूल वेतन के अनुसार मासिक प्रीमियम की राशि चालान से संबंधित मद में जमा कराने की जिम्मेदारी कर्मचारी की स्वयं की होगी।

(ix) राज्य कर्मचारी अवकाश अवधि में निम्न सुविधाओं के पात्र नहीं होंगे :–

1. चिकित्सा पुनर्भरण सुविधा,
2. राजकीय टेलीफोन/वाहन की सुविधा,

(x) उपरोक्त विशेष अवकाश अवधि के दौरान राज्य कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके आश्रित को राज्य सरकार के अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियमों के अनुसार पात्र होने पर नियुक्ति दी जा सकेगी।

(xi) विशेष अवकाश अवधि में कर्मचारी की विभाग में वरिष्ठता प्रभावित नहीं होगी। यदि उक्त अवधि में कर्मचारी को पदौन्नति का अवसर बनता है तो विशेष अवकाश अवधि में विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पदोन्नति हेतु विचार करते समय ऐसे अवकाश काल का वास्तविक वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन नहीं होने से ऐसी अवधि का मूल्यांकन "अच्छा" माना जावेगा। पदोन्नति हेतु योग्य कर्मचारी को Proforma पदोन्नति देय

होगी। कर्मचारी के अवकाश से लौटने पर पदौन्नति का काल्पनिक लाभ पदोन्नति की दिनांक से दिया जावेगा।

(xii) (a) अवकाश अवधि में या अवकाश की समाप्ति पर यदि राज्य कर्मचारी की पेंशन योग्य सेवा 15 वर्ष से कम है तो वह राज्य सेवा से इस्तीफा दे सकेगा और इसके लिए नोटिस अवधि की आवश्यकता नहीं होगी। यदि ऐसा कर्मचारी अवकाश समाप्ति पर कार्य ग्रहण नहीं करता है तो संबंधित नियुक्ति अधिकारी कर्मचारी को 'कारण बताओ नोटिस' जारी कर अथवा बिन्दु–3 के अनुसार निवास के पते के अनुरूप वहां के स्थानीय समाचार पत्र में नोटिस प्रकाशित कराकर सूचित करेगा कि उसकी अनुपस्थिति को क्यो नहीं राज्य सेवा से उसका त्याग (Resignation) समझा जावें। जवाब प्राप्त होने पर उसका परीक्षण कर एवं जवाब प्राप्त नहीं होने पर सेवा से पृथक् करने के आदेश जारी करेगा।

(b) जिन कर्मचारियों की सेवा अवधि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु पूरी हो, ऐसे कर्मचारी अवकाश अवधि में अथवा अवकाश समाप्ति पर स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति हेतु आवेदन कर सकेंगे और उन्हें भी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु नोटिस अवधि के लिये बाध्य नहीं किया जावेगा। नोटिस देने पर भी सेवा पर नहीं लौटने पर अवकाश समाप्ति की तिथि से स्वैच्छिक सेवा निवृत्त मान लिया जावेगा।

(एम. डी. कौरानी)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त